

परिशिष्ट-1  
विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 952 के प्रश्नांश "क" की जानकारी

संभाग का नाम	वन मंडल का नाम	कार्य आयोजना की अवधि	धारा 20 के तहत आरक्षित वन भूमि वर्ग कि.मी.	धारा 20 "अ" के तहत मानी गई आरक्षित वन भूमि वर्ग कि.मी.	धारा 29 के तहत संरक्षित वन भूमि वर्ग कि.मी.	धारा 4 (1) के तहत (आरक्षित वन हेतु प्रस्तावित) वन भूमि वर्ग कि.मी.
1	2	4	5	6	7	8
ग्वालियर	ग्वालियर	2005-06 से 2014-15 इसमें 2016-17 तक वृद्धि की गई है।	1073.97	746.99	238.32	253.03
	दतिया	2005-06 से 2014-15 इसमें 2016-17 तक वृद्धि की गई है।	52.78	0	238.26	197.18
	गुना	2006-07 से 2015-16, इसमें 2016-17 तक वृद्धि की गई।	774.59	772.45	1439.37	1374.42
	अशोकनगर	2006-07 से 2015-16, इसमें 2016-17 तक वृद्धि की गई।	550.26	548.67	338.09	305.12
	शिवपुरी एवं माधव राष्ट्रीय उद्यान	2007-08 से 2016-17 तक	1879.34	1537.62	1655.40	1524.50
चम्बल	मिण्ड	2005-06 से 2014-15 इसमें 2016-17 तक वृद्धि की गई है।	33.2	21.65	54.86	51.92
	मुरैना	2013-14 से 2022-23	452.5	441.77	518.7	671.45
	श्योपुर क्षेत्रीय	2010-11 से 2019-20	2239.71	206.50	440.98	788.03
	कूनों, श्योपुर	2010-11 से 2019-20	766.40	759.68	502.46	

रिमार्क :- कार्य-आयोजना में धारा-20(अ) के अन्तर्गत मान्य की गई आरक्षित वनभूमि को धारा-20 के अन्तर्गत लिया गया है। धारा-20(अ) के अन्तर्गत मान्य की गई संरक्षित वनभूमि वन विभाग के प्रभार में न होने से कार्य आयोजना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(बी.के. मिश्रा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-भू अग्नि)

मध्यप्रदेश, भोपाल

अनुभाग अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग शाखा-2

परिशिष्ट-2

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 952 के प्रश्नांश "ख" की जानकारी

संभाग का नाम	वन मंडल का नाम	मान्य दावों का विवरण				अमान्य दावों का विवरण	
		व्यक्तिगत दावे	रकवा है0 में	सामुदायिक दावे	रकवा है0 में	व्यक्तिगत	सामुदायिक
ग्वालियर	ग्वालियर	132	96.591	56	6205.63	1962	5
ग्वालियर	दतिया	138	58.410	5	10.00	244	3
चम्बल	भिण्ड	0	0	0	0	52	0
चम्बल	मुरैना	10	3.472	78	8050.00	190	6
चम्बल	श्यापुर / कूनो	2759	2841.732	390	अभिलेखों में रकवा उपलब्ध नहीं	6052	270
ग्वालियर	गुना	5125	7532.821	364	12376.790	18024	0
ग्वालियर	अशोकनगर	718	742.068	31	48.010	7569	203
ग्वालियर	शिवपुरी	2067	2892.671	379	अभिलेखों में रकवा उपलब्ध नहीं	15016	0

अनुभाग अधिकारी  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग शाखा-2

पु. मंत्रालय  
(बी.क. मिश्रा)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-भू अमि0)

परिशिष्ट-3

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 952 के प्रश्नांश "ग" की जानकारी

वन मंडल का नाम	मान्य किये गये दावों के ब्यौरे, एरिया रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास एवं वनकक्ष मानचित्र में दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही
ग्वालियर	वन मंडल ग्वालियर अन्तर्गत वितरित मू अधिकार पत्रों के अभिलेखीकरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। मानचित्रों एवं कक्ष इतिहास में विवरण दर्ज करने के संबंध में नोडल विभाग ग्वालियर की ओर से मात्र 20 मान्य दावों के मानचित्र प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण वन मंडल की पुनरीक्षित की जा रही कार्य योजना में दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष 168 दावों के मानचित्र अप्राप्त है।
दतिया	जिला दतिया अन्तर्गत नोडल विभाग की ओर से मूल अभिलेख प्राप्त न होने के कारण वितरित मू अधिकार पत्रों के अभिलेखीकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकी है।
भिण्ड	जिला भिण्ड के अन्तर्गत कोई भी दावा मान्य नहीं किया गया है।
मुरैना	जिला मुरैना अन्तर्गत मान्य किये गये दावों के ब्यौरा एरिया रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है। कक्ष इतिहास एवं मानचित्र में दर्ज किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।
श्यापुर/कूनो	जिला श्यापुर के अन्तर्गत मान्य किये गये दावों का विवरण कक्ष इतिहास मानचित्र, एरिया रजिस्टर आदि में दर्ज किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।
गुना	मान्य किये गये दावों के ब्यौरे, एरिया रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास एवं वनकक्ष मानचित्र में दर्ज नहीं किये गये हैं। इनको वनमंडल तथा वनपक्षेत्र स्तर पर पृथक से कक्षवार, बीटवार पंजी में दर्ज किया गया है।
अशोक नगर	मान्य किये गये दावों के ब्यौरे, एरिया रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास एवं वनकक्ष मानचित्र में दर्ज नहीं किये गये हैं। इनको वनमंडल तथा वनपक्षेत्र स्तर पर पृथक से कक्षवार, बीटवार पंजी में दर्ज किया गया है।
शिवपुरी	मान्य किये गये दावों के ब्यौरे, एरिया रजिस्टर, वनकक्ष इतिहास एवं वनकक्ष मानचित्र में दर्ज नहीं किये गये हैं। इनको वनमंडल तथा वनपक्षेत्र स्तर पर पृथक से कक्षवार, बीटवार पंजी में दर्ज किया गया है।



प्रति 11/12/16  
(बी.के. मिश्रा)

अनुभाग अधिकारी  
मध्यम विभाग  
वन विभाग, अ.स. 1-2

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-मू अमि0)